वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर (उ0प्र0)

NAAC A+Grade

Wbe: www.vbspu.ac.in mail:connectpuregistrar@gmail.com

पत्रांक: 6183 /शैक्षणिक/2024 दिनांक: 01-10-2024

सेवा में,

1. समस्त निदेशक/संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/समन्यवयक,
   वीर बाहदुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
2. समस्त प्राचार्य/प्रबन्धक, सम्बद्ध महाविद्यालय,
   वीर बाहदुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर।

विषयः Curricular & Credit Freamework for Four Year Undergraduate Programmae (FYUP) शैक्षणिक सत्र 2024–25 से लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किये जाने विषयक शासनादेश संख्या–1567/सत्तर–3–2021–16 (26)/2011 टी0सी0 दिनांक 13.07.2021 के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों को चार वर्षीय डिग्री प्रदान करने की सुविधा प्रदान की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा माह दिसम्बर 2022 में Curricular & Credit Freamework for Four Year Undergraduate Programmae (FYUP) फ्रेमवर्क में जारी किया गया है। उक्त फ्रेमवर्क के अनुरूप VC's समिति के सुझाव पर शासन के पत्र संख्या 2090/सत्तर–3–2024–09 (01)/2023(L-4), दिनांक 02 सितम्बर, 2024 द्वारा प्रदेश के Curricular & Credit Freamework for Four Year Undergraduate Programmae (FYUP) तैयार नीति को सक्षम निकायों से अनुमोदित कराते हुए सत्र 2024–25 से लागू किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त का विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 07.09.2024 में अध्यक्ष की अनुमति से कार्यसूची संख्या–01 एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 12.09.2024 के कार्यसूची संख्या–04 पर अनुमोदन प्राप्त हो चुका है जिसको सत्र 2024–25 से लागू किये जाने हेतु विश्वविद्यालय के पत्र संख्या 5741/शैक्षणिक/2024, दिनांक 18.09.2024 द्वारा समस्त सम्बन्धितों को पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त शासनादेश को सत्र 2024–25 में लागू किये जाने हेतु व्यवस्था निम्नवत होगी:–

1.क्षेत्र(Scope)

1.1(अ) यह व्यवस्था कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि संकायों में त्रिवर्षीय बहुविषयक स्नातक तथा चार वर्षीय स्नातक (मानद व मानद शोध सहित) तथा बी0ए0, बी–एस0सी0, बी0काम0 तथा एकल विषय परास्नातक यथा एम0ए0, एम0–एस0सी0, एम0काम0 कार्यक्रमों में लागू होगी।

(ब) त्रिवर्षीय एकल विषय स्नातक, स्नातक (आनर्स), तथा बी–एस0सी0(माइक्रोवायोलॉजी) इत्यादि तथा एकल विषय/संकाय स्नातक यथा बी–एस0सी0, बी0बी0ए0 आदि कार्यक्रमों में भी लागू होगी।

1.2(अ) त्रिवर्षीय स्नातक स्तर पर विभिन्न विषयों के न्यूनतम पाठ्यक्रम (Minimum Common Syllabus) शासन द्वारा पूर्व में ही उपलब्ध करा दिये गये हैं। वह आगे भी लागू रहेगें।

(ब) चार वर्षीय स्नातक (FYUP) कोर्स का पाठ्यक्रम स्नातक के तीन वर्ष एवं परास्नातक के प्रथम वर्ष को जोड़कर माना जायेगा, पृथक से नये पाठ्यक्रम बनाने की आवश्यकता नहीं होगी।

2.परिभाषा

2.1 पाठ्यक्रम/कार्यक्रम एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष का स्नातक डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) डिग्री एवं स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिड), पांच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री तथा शोध उपाधि यथा बी0ए0, बी–एस0सी0, बी0काम0, बी0एड0, बी0बी0ए0, बी0एल0ई0, एम0ए0, एम0एस0सी0, एम0काम0, एल0एल0बी0,पी0एच0डी0 इत्यादि।

3.कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र(Course/ Paper)

3.1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी/प्रैक्टिकल के पेपर को कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र कहां जायेगा।

3.2 थ्योरी, प्रैक्टिकल और शोध परियोजना के पेपर्स/प्रश्नपत्रों का कोड अलग–अलग होगा।

4.मुख्य (मेजर) **विषय तथा** माईनर **विषय के** इलेक्टिव **पेपर**

4.1 प्रारम्भ में विद्यार्थी का प्रवेश तीन वर्ष की स्नातक डिग्री हेतु होगा। चौथे वर्ष में विद्यार्थी चार वर्ष की स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) एवं स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिड) डिग्री मे से किसी एक का चयन कर सकते है।

4.2 (अ) विद्यार्थी को प्रवेश के समय बी0ए0, बी–एस0सी0, बी0काम आदि में से किसी एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम का चयन करना होगा और उसे उस पाठ्यक्रम के दो प्रमुख(मेजर) विषयों का चयन करना होगा। इसी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को डिग्री मिलेगी। पाठ्यक्रम के चयनित विषयों का अध्ययन वह तीन/चार वर्ष (प्रथम से छठें/अष्ट्म सेमेस्टर) तक कर सकता है। यदि वह किसी वर्ष/वर्षो में विषय परिवर्तित करता है तो उसे तीन वर्ष में विद्यार्थी जिस संकाय के दो मुख्य विषयों में न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी संकाय में उसे डिग्री दी जायेगी।

(ब) चार वर्षीय स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) डिग्री के लिए चतुर्थ वर्ष में विद्यार्थी उपरोक्त दो मेजर विषयों मे से किसी एक विषय का (जिसका अध्ययन विद्यार्थी ने अनिवार्य रूप से पूर्व के तीन वर्षो/छः सेमेस्टर में किया है) का चयन करेगा तथा सप्तम व अष्ट्म सेमेस्टर्स में भी उसी विषय को पढ़ेगा।

(स) तीन वर्षीय स्नातक के पश्चात् विद्यार्थी किसी नये विषय में परास्नातक में प्रवेश ले सकता है (जिसमें Pre-Requistic के अनुसार वह अर्ह है), परन्तु एक वर्ष की परास्नातक/चतुर्थ वर्ष की पढ़ाई के बाद उसे कोई डिग्री अथवा डिप्लोमा नहीं मिलेगा। दो वर्ष पूर्ण एवं उत्तीर्ण करने पर ही उसे उस विषय में परास्नातक की डिग्री मिलेगी।

(द) त्रिवर्षीय स्नातक के अध्ययन के पश्चात् चार वर्षीय डिग्री के लिए भी विद्यार्थी को उस विषय में परास्नातक में नया प्रवेश लेना होगा जो कि विश्वविद्यालय में प्रचलित प्रवेश प्रक्रिया के अनुरूप परास्नातक की उपलब्ध सीटों पर किया जायेगा।

4.3 विद्यार्थी द्वारा तीसरे गौण (माइनर) विषय का चयन बहुविषयता के लिए किसी भी अन्य संकाय से विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में सीट उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

4.4 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय परिवर्तित कर सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।

4.5 विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषय की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।

4.6 तीसरे गौण (माइनर) विषय का कोर्स किसी भी विषय का इलेक्टिव पेपर (6क्रेडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय। इस कोर्स के चुनाव में Pre-Requistic का ध्यान रखा जाना आवश्यक नहीं है।

4.7 विद्यार्थी माइनर पेपर/स्किल कोर्स के लिए स्वयं (SWAYAM) पोर्टल एवं अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों की वेवसाइट से निःशुल्क कर सकते हैं तथा विश्वविद्यालय इन कोर्सो की परीक्षा माइनर पेपर के साथ करायेगें।

4.8 यदि विद्यार्थी उक्त कोर्सेज को स्वयं (SWAYAM) अथवा अन्य मान्यता प्राप्त आनलाइन संस्थानों से परीक्षा देकर उत्तीर्ण करता है, तो वह इसका सर्टीफिकेट अपने महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में जमा करेगा। माइनर पेपर्स के लिए अधिकतम 12 क्रेडिट तथा स्किल कोर्स के लिए अधिकतम 9 क्रेडिट मान्य होगें तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ग्रेड प्वाइन्ट्स इन्ही क्रेडिट को दिये जायेगें तथा SGPA/CGPA की गणना की जायेगी।

5.कौशल विकास कोर्स (Vocatlonal/Skill Development Courses)

5.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षो (प्रथम तीन सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में तीन क्रेडिट का एक कौशल विकास कोर्स(3x3=9 क्रेडिट के कुल तीन पाठ्यक्रम) करना अनिवार्य होगा।

5.2 उक्त कौशल विकास कोर्स पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या 1969/सत्तर–3–2021, दिनांक 18 अगस्त, 2021 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संचालित किये जायेगें।

5.3 यदि विद्यार्थी यू0जी0सी0/PMKVY 4.0 केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से तीन व उससे अधिक क्रेडिट का कोई ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन कौशल विकास कोर्स करता है तो उसे उतने ही क्रेडिट प्रदान कर दिये जायेगें। स्नातक के लिए कुल 09 क्रेडिट अर्जित करना आवश्यक है। विद्यार्थी अधिकतम 09 क्रेडिट को कम अथवा अधिक समय में पूर्ण कर सकते हैं।

6.सह–पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम/कोर्स(Co-Curricular Courses)

6.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षो (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर दो क्रेडिट का एक सह–पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम/कोर्स करना अनिवार्य होगा अर्थात कुल 8 क्रेडिट (4कोर्स से अर्जित करने होगें)

6.2 इन सह–पाठ्यचर्या पाठ्यक्रमों/कोर्सेज की परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र के माध्यम से करायी जायेगी। इनमें उत्तीर्ण प्रतिशत वही होगा जो मुख्य व माइनर विषय के पेपर्स में होगा तथा इनमें प्राप्त ग्रेड्स को सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मिलित किया जायेगा।

6.3 प्रथम सेमेस्टर में प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (First aid and Basic Health), द्वितीय सेमेस्टर मानवीय मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human-Values and Environment studies), तृतीय सेमेस्टर में शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Education and Yoga) का अध्ययन किया जायेगा, जिनके पाठ्यक्रम पूर्व से संचालित हैं।

6.4 सभी सम्बद्ध महाविद्यालय चतुर्थ सेमेस्टर में एक भारतीय/स्थानीय भाषा तथा यू0जी0सी0 द्वारा बनाये गये "सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता ((Social Responsibility and Community Engagement)" पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से चलायेगें। भारतीय भाषा को मुख्य विषय के रूप में लेने वाले विद्यार्थी "सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता" पाठ्यक्रम का अध्ययन करेगें तथा अन्य विद्यार्थी भारतीय/स्थानीय भाषा का अध्ययन करेगें, जिसका पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों द्वारा स्थानीय भाषा के दृष्टिगत तैयार किया जायेगा।

7.शोध परियोजना (Research Project)

7.1 स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष के बाद ग्रीष्मावकाश में विद्यार्थी अपने द्वारा चयनित दो मुख्य विषयों में से एक विषय से सम्बन्धित तीन क्रेडिट की एक शोध परियोजना करेगा। ग्रीष्मावकाश में पूर्ण न कर पाने की स्थिति में यह शोध परियोजना तृतीय वर्ष के पंचम सेमेस्टर में भी की जा सकती है परन्तुं उसे द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण तभी माना जायेगा जब उसके द्वारा उक्त शोध परियोजना पूर्ण कर ली जायेगी।

7.2 स्नातक चतुर्थ वर्ष अथवा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के दोनो सेमेस्टर्स में विद्यार्थी चार–चार क्रेडिट के दो कोर्स के स्थान पर एक शोध परियोजना ले सकता है। यह शोध परियोजना एक सप्ताह एवं एक अष्टम सेमेस्टर के थ्योरी कोर्स के स्थान पर लेनी होगी न कि किसी एक सेमेस्टर के दो कोर्स के स्थान पर। स्नातक चतुर्थ वर्ष में शोध सहित उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को स्नातक (मानद शोध सहित) की उपाधि दी जायेगी।

7.3 स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष (उच्च शिक्षा का पंचम वर्ष) में अनिवार्य रूप से एक शोध परियोजना करनी होगी जो कि नवम एवं दशम सेमेस्टर में चार–चार क्रेडिट्स की होगी।

7.4 पी.जी.डी.आर. में चार क्रेडिट की शोध परियोजना का स्वरूप विश्वविद्यालय अपने प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क के अनुसार निर्धारित करेगें। स्नातक (मानद शोध सहित) उपाधि प्राप्तकर्ता परास्नातक पूर्ण किये बिना भी पी0एच0डी0 की प्रवेश प्रक्रिया जैसे प्रवेश परीक्षा एवं साक्षात्कार इत्यादि के लिए अर्ह होगा।

7.5 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में पूर्ण की जायेगी। सुपरवाईजर के रूप में एक अन्य विशेषज्ञ को किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थान/शोध/शिक्षण संस्थान से नियमानुसार लिया जा सकता है।

7.6 यह शोध परियोजना इन्टरडिस्पलनरी/मल्टीडिस्पलनरी भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।

7.7 विद्यार्थी स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष के पश्चात की गई शोध परियोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा करेगा।

7.8 स्नातक(मानद शोध सहित) स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थी वर्ष के अन्त में दोनो सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना की रिपोर्ट/शोध प्रबन्ध (Report /Dissertaion) अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा करेगा।

7.9 पी0जी0डी0आर0 स्तर पर विद्यार्थी प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क के पश्चात की गई शोध परियोजना की रिपोर्ट/शोध प्रबन्ध (Report /Dissertaion) अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा करेगा।

7.10 बिन्दु 7.1 के अतिरिक्त उपरोक्त सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रम शोध परियोजनाओं का मूल्यांकन सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 (75 शोध प्रबन्ध +25 शोध पत्र) अंको में से किया जायेगा। विद्यार्थी अपनी इस शोध परियोजना मे से पेटेंट प्रकाशन अथवा शोध पत्र (UGC-CARE listed) अथवा बुक चैप्टर (isbn) स्नातकोत्तर कार्यक्रम के दौरान प्रकाशित करवायेगा। 25 अंक पेटेंट अथवा शोध पत्र (UGC-CARE listed) अथवा बुक चैप्टर

(isbn) पर ही देय होगें। पेटेंट अथवा शोध पत्र (UGC-CARE listed) अथवा बुक चैप्टर (isbn) न होने पर प्राप्तांक अधिकतम 75 अंक ही देय होगें। पूर्णांक अधिकतम 100 ही होगें। दो राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार/संगोष्ठी में पेपर प्रेजेन्ट करने पर भी 25 अंक देय होगें। पेटेंट/शोध पत्र/बुक चैप्टर का प्रकाशन सुपरवाईजर तथा कई विद्यार्थियों द्वारा संयुक्त रूप से कराने पर भी मान्य होगा।

7.11 स्नातक, स्नातक (मानद शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं पी.जी.डी.आर. के विद्यार्थियों की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होगें तथा उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में भी सम्मिलित किया जायेगा।

8.क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारणः–

8.1 थ्योरी के एक क्रेडिट पेपर में एक घण्टा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घण्टे का शिक्षण कराना होगा।

8.2 प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा अर्थात प्रैक्टिकल के दों घंटे का कार्य एक घंटे का वर्क लोड माना जायेगा।

8.3 क्रेडिट संबंधी समस्त कार्य ऐकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट (ABC/ABACUS) के माध्यम से किये जायेगे, जिसके दिशा–निर्देश पृथक से समय–समय पर जारी किये जाते हैं।

8.4 विद्यार्थी न्यूनतम 40 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 80 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 120 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी न्यूनतम 160 क्रेडिट अर्जित करने पर चार वर्षीय स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) अथवा स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिड) डिग्री न्यूनतम 200 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री न्यूनतम 216 क्रेडिट अर्जित करने पर पी0जी0डी0आर0 की डिग्री प्राप्त कर सकते है।

त्रिवर्षीय तथा स्नातक डिग्री के पश्चात् विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में संसाधन की उपलब्धता होने पर विद्यार्थी एक वर्ष की 40 क्रेडिट की इंटर्नशिप NATS या समकक्ष/समतुल्य से कर सकता है। यह इंटर्नशिप विद्यार्थी 6 माह के दो अथवा 4 माह के तीन अथवा 3 माह के चार भागों में भी कर सकता है। यह इंटर्नशिप विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के मार्गदर्शन में सहयोगी संस्था/इन्डस्ट्री से की जायेगी। 40 क्रेडिट (1200 घटों) की इस इन्टर्नशिप के पश्चात विद्यार्थी को स्नातक (इंटर्नशिप/एप्रेन्टिससिप सहित) की उपाधि दी जायेगी।

8.5 एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा।

8.6 यदि कोई योग्य छात्र(Fast leamer) कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट (ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन) प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर डिग्री दो वर्ष बाद ही मिल जायेगी।

8.7 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी ने आयेगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उसे उसी विषय के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।

8.8 तीन वर्ष में विद्यार्थी जिस संकाय के दो मुख्य विषयों में न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेंगा, उसी संकाय में उसे डिग्री दी जायेगी और विश्वविद्यालय के नियमानुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी।

जैसे यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, दो मुख्या विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट (88 का 60 प्रतिशत अर्थात 53 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल ऐजूकेशन की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के प्रीरिक्वजाइट (Prerequisite) की आवश्यकता नहीं होगी।

8.9 यदि काई योग्य छात्र सर्टीफिकेट/डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट री–क्रेडिट कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाताा है, तो वह री–क्रेडिट किये गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

8.10 विद्यार्थी निकास के समय आवष्यक कुल क्रेडिट के अधिकतम 40 प्रतिशत तक (As per UGC/NEP guidlines) क्रेडिट आनलाइन शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकता है

9.उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण

9.1 क्रेडिट वैलीडेशन के लिये परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होगे।

9.2 परीक्षा देने के लिये पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

9.3 यदि कोई विद्यार्थी कक्षा मे उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करना है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षाये लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

10.प्रवेश नियमावली एवं प्रक्रिया तथा समय–सारणी

10.1 विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी उच्च शिक्षण संस्थान/महाविद्यालय प्रवेश आरम्भ होने से पूर्व ही अपनी समय–सारणी (Time table)तैयार करेंगे।

10.2 सभी शिक्षण संस्थान इस प्रकार से समय–सारणी (Time table) तैयार करें जिससे कि विद्यार्थियों को अन्य संकाय के विषयों के चयन के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हो सके।

11.ग्रेडिंग प्रणाली

11.1 शासनादेश संख्या–1032/सत्तर–3–2022–08(35)/2020, दिनांक 20 अप्रैल, 2022 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार स्नातक स्तर पर ग्रेडिंग प्रणाली को संचालित किया जाय।

11.2 स्नातकोत्तर स्तर पर इसी प्रकार ग्रेडिंग प्रणाली लागू होगी।

12.सतत आंतरिक एवं विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यॉकन

12.1 सतत आंतरिक मूल्यॉकन का उद्देश्य केवल आंतरिक परीक्षा नहीं है, अपितु विद्यार्थी का सर्वांगीण मूल्यॉकन करना है। एन0ई0पी0–2020 के अनुसार सभी विद्यार्थियों का सतत् मूल्यांकन (cie) कराया जाना है, जिसे शिक्षक, शिक्षण कार्य के साथ पूर्ण करेंगे।

12.2 मुख्य व माईनर विषयों के केवल थ्योरी पेपर्स में 25 अंक का सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) अनिवार्य होगा तथ विश्वविद्यालय द्वारा 75 अंकों की परीक्षा करायी जायेगी। प्रयोगात्मक, वोकेशनल/स्किल, को–करीकुलर तथा शोध परियोजना के कोर्सेज में सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) आवश्यक नहीं है तथा विश्वविद्यालय द्वारा इन कोर्सेज की परीक्षा 100 अंको के आधार पर होगी।

12.3 सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) के लिए किसी भी प्रकार की केन्द्रीयकृत/विश्वविद्यालय स्तरीय मिड टर्म परीक्षाऐं आयोजित नहीं की जायेगी।

12.4 शासनादेश संख्या 2058/सत्तर–3–2021–08(33)2020टी0सी0, दिनांक 26.08.2021 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार सतत् आन्तरिक मूल्यांकन (CIE) प्रोजेक्ट, सेमिनार, रोल प्ले, क्विज, पजल, टेस्ट, प्रैक्टिल, सर्वे, बुक रिब्यू, स्टूडेंट पार्लियामेंट, स्क्रीनप्ले, निबंध, एक्सटेम्पोर, एक्जीविशन, फेयर, शैक्षणिक भ्रमण आदि के द्वारा किया जा सकता है। सतत् आन्तरिक मूल्यांकन (CIE) में संस्थान पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।

12.5 विद्यार्थी के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन के अंक प्रदान करने के लिए पाठयेत्तर गतिविधियों (Extra-Curricular activities, Study tour, Sports,Outreash activity, Social Service etc) का उपयोग भी किया जा सकता है।

भवदीय,

कुलसचिव

01/10/24

संलग्नक–टेवल–1 व 2

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, कुलपति, माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. वरिष्ठ आशुलिपिक परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक के सूचनार्थ।
3. उप कुलसचिव परीक्षा/गोपनीय को सूचनार्थ।
4. प्रशा0अधिकारी परीक्षा/गोपनीय/अति गोपनीय/उपाधि अनुभाग को सूचनार्थ।
5. प्रभारी वेबसाइट को इस आशय से कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाईल ।

कुलसचिव

Uttar Pradesh NEP-2020 UG-PG course structure aligned with FYUGP of UGC

Table 1: (To be in effect from 2024-25 Session)

(Cummulative Minimum Credits) Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree			Subject I	Subject II	Subject III	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC)	Research Project / Dissertation/ Internship / Field or survey work	(Minimum Credits) For the year
			Major (core)	Major (core)	Minor Multidisciplinary	Minor	Minor	Major	
			4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	6 Credits	3 Credits	2 Credits	3/4 Credits	
	Year	Sem.	Own Faculty	Own Faculty	Other Faculty	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC)	Inter/Intra Faculty related to main Subject	
(40) Certificate in Faculty	1	I	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (6)	1 (3)	1 (2)		40
		II	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1 (3)	1 (2)		
(40+40=80) Diploma in Faculty	2	III	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (6)	1 (3)	1 (2)		40
		IV	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)			1 (2)	1 (3) Point 7.1	
(80+40=120) 3-year UG Degree	3	V	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)					40
		VI	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)					
Fourth Year									
*Apprenticeship / Internship embedded UG degree programme	4	12 Months Apprenticeship/ Internship through NATS or from equevelent organization/ Industry/institute				1 (40) 1200 hours			40
OR									
(120+40=160) 4-year UG Degree (Honours)	4	VII	Th-5(4) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						40
		VIII	Th-5(4) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						
OR									
(120+40=160) 4-year UG Degree (Honours with Research)	4	VII	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)		Students who secure 75% marks in the first 6 semesters			1 (4)	40
		VIII	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)	
240 Master in	5	IX	Th-4(4) or Th-3(4)+					1 (4)	40

Faculty		X	Pract-1(4) Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)						I (4)	
{216} PGDR in Subject	6	XI	Th-4(2)	I (4) Research Methodology					I (4)	16
Ph D in Subject	6,7,8	XII-XVI							Ph D Thesis	

*Apprenticeship/Internship embedded degree programme degree holder have to do 2 year PG programme. It is purely optional for Universities, to run and give this degree.

3 year Honors/Single subject programme structure
Table 2: (To be in effect from 2024-25 Session)

{Cummulative Minimum Credits} Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree			Subject I	Subject II	Subject III	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC)	Research Project / Dissertation / Internship/ Field or survey work	{Minimum Credits} For the year
			Major (core)	Major (core)	Minor Multidisciplinary	Minor	Minor	Major	
			4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	6 Credits	3 Credits	2 Credits	3/4/5 Credits	
	Year	Sem.	Own Faculty	Own Faculty	Other Faculty	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC)	Inter/Intra Faculty related to main Subject	
{40} Certificate in Faculty	1	I	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)		I (6)	I (3)	I (2)		40
		II	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)			I (3)	I (2)		
{40+40=80} Diploma in Faculty	2	III	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)		I (6)	I (3)	I (2)		40
		IV	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)				I (2)	I (3) Point 7.1	
{80+40=120} 3-year Single Subject Plain UG Degree	3	V	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					I (4)	40
		VI	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					I (4)	
					or				
{80+50=130} 3-year Single Subject Honours UG Degree		V	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)					I (5)	50
		VI	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)					I (5)	

- Single subject 3 years UG programme examples: BBA, BCA, BHM, BSc (Chemistry), BSc. Chemistry (Hnours), Etc.
- After both the above programmes (3 years plain or Honours degree), one has to pursue 4th/ 5th years of UG/ PG programmes as given in the Table 1, in the same manner as the one who completes, 3 years UG degree of Table 1.